समक्ष एम.एम. कुमार न्यायमूर्ति

परमजीत, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — प्रतिवादी

Crl. म. नo 2003 का 25469 / एम

3 नवंबर, 2003

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को जारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-1 निरूपण- पैरा . 2(क) खंड 2(ग) और (iv)- टाडा अधिनियम की धारा 6 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किशोर को दोषसिद्धि के साथ-साथ अनुदेशों की धारा 2(ग) के अंतर्गत किशोर को समय पूर्व रिहा करने का अधिकार देता है जिसका अपराध जघन्य नहीं माना जाता जैसा कि खंड (क) और (क) में उल्लेख किया गया है। निर्देशों के खंड 2 (सी) द्वारा कवर नहीं किए गए याचिकाकर्ता के मामले में - समय पूर्व रिहाई के लाभ के हकदार नहीं हैं - याचिका खारिज की जा सकती है।

यह माना गया कि याचिकाकर्ता 12 अप्रैल, 2002 के अनुदेशों के खंड 2(ग) के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उन अनुदेशों में विशेष रूप से खंड (एए) और (ए) में उल्लिखित जघन्य अपराध के मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के साथ हत्या के मामले शामिल हैं। अनुदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के किशोर आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 12 अप्रैल, 2002 के अनुदेशों का लाभ दिया जा सकता है यदि उन्हें अनुदेशों के पैरा 2 के खंड (क) और (क) में उल्लिखित जघन्य अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है। खंड 2 (ए) (iv) के अवलोकन से पता चलता है कि जब कोई किशोर जिसे टाडा अधिनियम के तहत अपराध के साथ हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह निर्देशों के खंड 2 (सी) का लाभ देकर समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं है।

(पैरा 7 और 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी चौधरी।

जीपीएस नागरा, एएजी, हरियाणा, उत्तरदाता के लिए।

निर्णय

एम.एम. कुमार न्यायमूर्ति

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 ('संहिता' संक्षिप्तता के लिए) के तहत दायर इस याचिका में उठाया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या आजीवन कारावास की सजा काट रहा किशोर समय पूर्व रिहाई के लाभ का हकदार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत हरियाणा के जेल विभाग द्वारा जारी 12 अप्रैल, 2002 (अनुबंध आर 1) के निर्देशों के खंड 2 (सी) द्वारा प्रदान किया गया है।.

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दोषी याचिकाकर्ता, जो एक किशोर है, को 25 दिसंबर, 1985 को सांपला पुलिस स्टेशन में धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी दर्ज एफआईआर नंबर 247 के तहत, और एफआईआर नंबर 249, दिनांक 28 दिसंबर, 1985 पुलिस स्टेशन, सांपला में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 साथ धारा 6 आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (संक्षिप्तता के लिए 'टाडा अधिनियम') के तहत दर्ज मामलों में दोषी ठहराया गया है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के साथ-साथ उसे दी गई सजा को उच्चतम न्यायालय तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। वह पहले ही 17 मई 2003 तारीख तक निम्नलिखित सजा काट चुका था

		वर्षों	महीने	दिन
i)	विचाराधीन अवधि सहित वास्तविक सजा	09	06 00 06	17 00 17
ii)	अर्जित छूट कुल कम हो गया	00	11	08
iii)	पैरोल की अवधि का लाभ उठाया गया	13	07	09
पैरोल की अवधि को छोड़कर कुल सजा"				

(3) दिनांक 12 अप्रैल 2002 के निर्देश के पैरा 2(ए) के खंड (सी) का लाभ प्राप्त करने हेतु, याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दायर किया जिस पर 17 फरवरी, 2003 को वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग द्वारा अनुबंध पी.7 के तहत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। 17 फरवरी, 2003 के आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

"रोहतक की जिला जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे इस कैदी नंबर 1009, परमजीत पुत्र काली राम की समयपूर्व रिहाई/मामले को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 20 नवंबर, 2002 के आदेशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।

समिति ने इस प्रकार देखा :

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले इस व्यक्ति ने निम्नलिखित सजा काटी है

	Y	म	डी
वास्तविक सजा	09	02	00
(+) छूट	04	08	02
	13	10	02
() पैरोल	00	10	08
कुल सजा	12	1 1	24"

उम्रकैद की सजा काट रहे इस कैदी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर 25 दिसंबर, 1985 को चाकू जैसे हथियारों से राम भज की हत्या की थी। आजीवन कारावास की सजा काट रहे इस कैदी की समय पूर्व रिहाई का मामला 12 अप्रैल, 2002 के सरकारी अनुदेशों के पैरा 2(क) की उपधारा (iv) के अंतर्गत आता है क्योंकि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले इस कैदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ टाडा 27ए अधिनियम की सजा सुनाई है। इस पैरा के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की वास्तविक सजा काटनी होती है, बशर्ते कि छूट सहित ऐसी सजा की कुल अवधि 20 वर्ष से कम न हो। लेकिन आजीवन कारावास की सजा पाने वाला यह व्यक्ति केवल 9 साल की वास्तविक सजा और लगभग 13 साल की कुल सजा काट

चुका है। इसलिए, राज्य स्तरीय समिति सिफारिश करती है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे इस कैदी की समय पूर्व रिहाई के मामले पर विचाराधीन अवधि और छूट सहित 20 वर्ष की कुल सजा सहित 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी होने पर विचार किया जाएगा . । राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को . स्वीकार किया जाता है।

(4) दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, याचिका का नोटिस जारी किया गया है और प्रतिवादियों द्वारा स्पष्ट बयान दाखिल किया गया है।

(5) श्री पी.सी. चौधरी, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अलग-अलग तारीखों पर दर्ज दो अलग-अलग एफआईआर में शामिल रहा है यानी 25 दिसंबर, 1985 की एफआईआर नंबर 247 और 28 दिसंबर, 1985 की एफआईआर नंबर 249। वकील ने कहा कि टाडा कानून के तहत उसे सुनाई गई दो साल की सजा पहले ही पूरी हो चुकी है और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई सजा काट रहा है। विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादियों ने 12 अप्रैल, 2002 के निर्देशों के पैरा 2 के खंड (सी) के लाभ से अवैध रूप से इनकार कर दिया है। दोनों मामलों को जोड़कर और उसी को एक के रूप में मानकर।

(6) श्री जी.पी.एस. नागरा, विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने लगभग 9 साल की वास्तविक सजा और 13 साल की कुल सजा काट ली है। राज्य स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि याचिकाकर्ता-दोषी की समय पूर्व रिहाई के मामले पर 14 साल की वास्तविक सजा पूरी होने पर पुनर्विचार किया जाएगा, जिसमें विचाराधीन अवधि और 20 साल की कुल सजा को शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया है कि याचिकाकर्ता का मामला 12 अप्रैल, 2002 के निर्देशों के पैरा 2 (ए) के उप खंड (iv) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है क्योंकि उसे टाडा अधिनियम की धारा 6 के साथ धारा 302 टीपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है। राज्य के वकील के अनुसार, घटना एक ही है, हालांकि दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

(7) विद्वान वकील को सुनने और 12 अप्रैल, 2002 के निर्देशों का अवलोकन करने के बाद, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता 12 अप्रैल, 2002 के निर्देशों के खंड 2 (सी) के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उन निर्देशों में विशेष रूप से खंड (एए) और (ए) में उल्लिखित जघन्य अपराध के मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के साथ हत्या के मामले शामिल हैं। अनुदेशों के खंड 2 (ए) और 2 (सी) निम्नानुसार पढ़े गए हैं:

"उस समय 18 वर्ष से कम आयु के किशोर जिन्होंने आजीवन कारावास अपराध किया है और जिसके मामले उपरोक्त (एए) और (ए) के तहत कवर नहीं किए गए हैं और जो (एए) और (ए) धारा में उल्लिखित जघन्य नहीं माने जाते और महिला आजीवन कारावास दोषी। ऊपर उल्लिखित खंड (एए) और (ए) के अनुसार जघन्य अपराध करने वाले किशोर आजीवन दोषियों के साथ वयस्क जीवन के दोषियों के समान व्यवहार किया जाएगा और उन पर उपरोक्त (एए) और (ए) के खिलाफ उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।	*उनके मामलों पर विचाराधीन अवधि सहित 8 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि छूट सहित ऐसी सजा की कुल अवधि 10 वर्ष से कम न हो।*

12 अप्रैल 2002 के निर्देशों का खंड 2(ए)(iv) इस प्रकार है:

ऐसे अपराधी जिन्हें जघन्य अपराध करने पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जैसे: (i) से (iii) xx xx xx (iv) टाडा अधिनियम, 1987 के तहत अपराध के साथ हत्या	उनके मामलों पर विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि छूट सहित ऐसी सजा की कुल अवधि 20 वर्ष से कम न हो।

(9) उपर्युक्त पुनरुत्पादित खण्डों के अवलोकन से पता चलता है कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के किशोर आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्तियों को 12 अप्रैल, 2002 के अनुदेशों का लाभ दिया जा सकता

है यदि उन्हें अनुदेशों के पैरा 2 के खंड (क) और (क) में उल्लिखित जघन्य अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है।

खंड 2 (ए) (iv) के अवलोकन से पता चलता है कि जब कोई किशोर जिसे टाडा अधिनियम के तहत अपराध के साथ हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह निर्देशों के खंड 2 (सी) का लाभ देकर समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का लाभ उठाने का प्रयास किया है कि उसके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि दोनों एफआईआर दो अलग-अलग घटनाओं पर आधारित हैं।. वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों एफआईआर 3 दिनों के अंतराल के साथ दर्ज की गई हैं और यह स्पष्ट है कि चाकू की बरामदगी, जो टाडा अधिनियम के तहत आती है, पहली प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच के दौरान की गई थी। चाकू राम भज नाम के व्यक्ति की हत्या करने के अपराध का हथियार था। यदि 28 दिसंबर, 1985 की बाद की एफआईआर संख्या 249 में उल्लिखित घटना पहले के एफटीआर से अलग होति, तो याचिकाकर्ता का मामला 12 अप्रैल, 2002 के निर्देशों के खंड 2 (सी) द्वारा कवर किया गया होता और उस खंड का लाभ दिया जा सकता था। मुझे याचिकाकर्ता को उपरोक्त खंड का लाभ देने का कोई आधार नहीं मिलता है। इसलिए, प्रधान सचिव (अनुलग्नक पी 7) द्वारा पारित दिनांक 20 नवंबर, 2002 के आक्षेपित आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है और इसे बरकरार रखा जाता है। याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी